प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 01.08.2025

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा "श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वाहन चेंकिग अभियान के अन्तर्गत " यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन/चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

दिनांक 31.07.2025 को ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के अन्तर्गत "** बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना नम्बर प्लेट, गलत दिशा से आने वाले वाहन/चालकों आदि के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत पुलिस टीम द्वारा **44** स्थानों पर चेकिंग कर **3542** व्यक्तियों को चेक किया गया तथा **1779** वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	चैक किये गये व्यक्तियों की संख्या	चालान किये गये वाहनों की संख्या
1	**इन्दिरापुरम**	389	275
2	**खोडा**	547	149
3	**कौशाम्बी**	695	384
4	**साहिबाबाद**	685	355
5	**लिंक रोड**	446	247
6	**शालीमार गार्डन**	290	159
7	**टीला मोड**	490	210
कुल योग		**3542**	**1779**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 20.07.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर कि मेरी दोस्ती आयुष अग्रवाल नामक लड़के के साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से दिसम्बर 2016 में हुई थी। आयुष अग्रवाल में मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 376 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 31.07.2025 को दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त 1. आयुष अग्रवाल पुत्र रमेश अग्रवाल निवासी म0नं0 102 फेज 2 चमन विहार जीएमएस रोड देहरादून उत्तराखण्ड उम्र करीब 28 वर्ष को थाना कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत अंसल

प्लाजा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आयुष अग्रवाल के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त आयुष अग्रवाल से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त और वादिया की दोस्ती हुई थी। तभी से वादिया और अभियुक्त आयुष अग्रवाल दोनों वैशाली सै-01 में रह रहे थे। अभियुक्त आयुष अग्रवाल ने वादिया के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। अब अभियुक्त वादिया से शादी करने के लिये मना कर रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आयुष अग्रवाल पुत्र रमेश अग्रवाल निवासी म0न0 102 फेज 2 चमन विहार जीएमएस रोड देहरादून उत्तराखण्ड उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.07.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त उमर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद द्वारा वादी की नाबालिग चचेरी बहन उम्र करीब 13 वर्ष के साथ गलत काम करना व किसी को बताने पर पीड़िता की अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 3/ 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 31.07.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त उमर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम मनोली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को मौहम्मदाबाद गेट मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता मेरे पास की ही रहने वाली है। एक दिन मैं पीडिता को अपने घर के पीछे ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया तथा किसी को बताने पर उसकी फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

उमर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम मनोली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले जाना व उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) / 65(1) व 4(2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 01.08.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सागर पुत्र लोकेश निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता से मेरी मुलाकात एक शादी में हुई थी जहां हमारी जान पहचान हो गयी और हम आपस में बात करने लगे। एक दिन मैं पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सागर पुत्र लोकेश निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा थाना खोडा क्षेत्रान्तर्गत फायरिंग करने की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 31.07.25 को थाना खोडा पर समस्त मौहल्लेवासी इन्द्रा विहार खोड़ा ने लिखित तहरीर दी और बताया कि एक लडका जिसे 32 के नाम से जाना जाता है के द्वारा फायरिंग की गयी। जिससे मौहल्ले वासी बाल-बाल बच गये। जिसके सम्बन्ध में तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धारा 125 बीएनएस व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त क्रम में आज दिनांक 01.08.2025 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सर्विलांस की सहायता से चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना खोडा क्षेत्रान्तर्गत फायरिंग करने की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त आकिब उर्फ बत्तीसा पुत्र शकील निवासी गली न0-11 इन्द्रा विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास के पास से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आकिब उर्फ

बत्तीसा उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 125 बीएनएस व 27 आर्म्स एक्ट में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त आकिब उर्फ बत्तीसा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद स्कूटी को अभियुक्त उपरोक्त ने शशी गार्डन दिल्ली से चोरी किया था तथा इसी स्कूटी से चोरी की घटनाएँ करता है और जो तमन्चा अभियुक्त उपरोक्त से बरामद किया गया है, उसी तमंचे से थाना खोडा क्षेत्रान्तर्गत कल फायरिंग की घटना कारित की थी। अभियुक्त लोगों में दहशत फैलाने के लिए अपने पास तमन्चा स रखता है। जिसे आज पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आकिब उर्फ बत्तीसा पुत्र शकील निवासी गली न0-11 इन्द्रा विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त आकिब उर्फ बत्तीसा उपरोक्त के विरुद्ध चोरी व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित थाना खोडा पर 02 अभियोग व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

स्वाट टीम ट्रांस हिन्डन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा लूट के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्तों को बिहार राज्य से किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलो 300 ग्राम सफेद धातु बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 24.07.2025 को थाना लिंकरोड क्षेत्र बृज बिहार में मानसी ज्वैलर्स की दुकान में ब्लिंकिट व स्वीगी की ड्रेस पहनकर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सोने चांदी की ज्वैलरी को दिन दहाड़े लूट कर फरार हो जाने के सम्बन्ध में वादी के द्वारा थाना लिंकरोड पर धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 31.07.2025 को 04 अभियुक्त 1. कपिल कुमार गौतम पुत्र हर प्रसाद गौतम, 2. मनीष उर्फ मोनू पुत्र स्व0 अभय सिंह, 3. मो0 महताब पुत्र इसराइल व 4. दीपू पुत्र बाबू तोमर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उपरोक्त क्रम में दिनांक 31.07.2025 को ही स्वाट टीम ट्रांस हिन्डन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु रवाना होकर लूट के अभियोग में वाँछित 02 शातिर लुटेरे 1. मो0 मुन्नू उर्फ मोनू पुत्र मो0 इलियास निवासी भोरेशाहपुर थाना खानपुर जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष व 2. जय प्रकाश नारायण उर्फ राम प्रकाश महतो पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मन महंतों निवासी पटपारा दक्षिण थाना

बिभूति पुर जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 56 वर्ष को बिहार राज्य से 04 किलो 300 ग्राम सफेद धातु सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत की धारा 309(4) बीएनएस में धारा 317(2),317(5),61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्तों के दोस्त कपिल कुमार व मनीष उर्फ मोनू ने दोनों अभियुक्तों को बताया था कि हम लोग कुछ सोने, चांदी के जेवरात गाजियाबाद से ज्वैलर्स की दुकान से लूटकर लेकर आये है। दोनों अभियुक्तों ने बरामद माल को सस्ते दामों पर उन्ही लोगों से खरीदा था। दोनों अभियुक्त बरामद माल को बेचने लिए जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. मो0 मुन्नू उर्फ मोनू पुत्र मो0 इलियास निवासी भोरेशाहपुर थाना खानपुर जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष।
2. जय प्रकाश नारायण उर्फ राम प्रकाश महतो पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मन महंतों निवासी पटपारा दक्षिण थाना बिभूति पुर जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 56 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 04 किलो 300 ग्राम सफेद धातु बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर लूट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

स्वाट टीम ट्रांस हिन्डन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 16000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 01.08.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक प्रियांशु पुत्र श्री कृष्णा कुमार निवासी डी ब्लाक प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 16000/- रू0 वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरूध्द की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से दिनांक 24.04.2025 को प्रियांशु पुत्र श्री कृष्णा कुमार निवासी डी ब्लाक प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 16000/-रू0 की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 31.07.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल